सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,

प्रिन्सपल बेंच, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ,

कोपेरनियस मार्ग नई दिल्ली ।

विषय – अरिजनल ऐप्लकैशन 219/2024 के संबंध में ।

महोदय,

श्री कमाल फारुकी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जो तथ्य कह गए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय न्यायालय को गुमराह करने और माननीय न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने के लिए दिए गए हैं।

जबकि शिकायत जनसूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओ को आधार बनाकर की गई है। जो संबंधित सरकारी विभागों से आवेदक ने प्राप्त की है।

1. गाटा संख्या 403 व 404 चकबंदी पूर्व गाटा संख्या 311 से बना हुआ है 1359 फसली वर्ष के अनुसार खसरे में गाटा संख्या 311 तालाब दर्ज है तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 22/9/2023 पर प्रस्तावित मेसको इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी का मानचित्र 222/2023 को निरस्त कर दिया और मेस्को पब्लिक स्कूल और राशिदा बेगम मुस्लिम विद्यालय के पूर्व में स्वीकृत मानचित्र संख्या 608/2011 व 96/2020 को भी तहसीलदार अमरोहा की आख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा दिनांक 7/3/2024 को निरस्त कर दिया गया। **(संलग्नक 1,2,3,4)**
2. महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने आईजीआरएस संख्या 40013724006029 के संबंध में बताया कि गाटा संख्या 403 रकबा 0.295 हेक्टेयर गाटा संख्या 404 रकबा 0.717 हेक्टेयर के 2/3 भाग यानी 0.478 हेक्टेयर में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय अमरोहा बना हुआ है जबकि श्री कमाल फारूकी ने मेसकों इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी धनौरा रोड अमरोहा की मान्यता/संबद्धता में दिए गए शपथ पत्र में मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी की भूमि में भी गाटा संख्या 402 रकबा 0.162 व गाटा संख्या 403 रकबा 0.295 हेक्टेयर भूमि में मेसकों इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी धनौरा रोड अमरोहा के लिए भी दिखाई गई है। **(संलग्नक 5,6,7,8,9)**
3. न्यायालय नियत प्राधिकारी उप जिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र अमरोहा मानचित्र संख्या 222/2023 आरबीओ एक्ट 1958, सरकार बनाम मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी के निर्णय में श्री कमाल फारुकी चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी ग्राम निजामपुर गरबी अमरोहा द्वारा दिनांक 6.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि विपक्षी कमाल

Scanned with C

फारुकी मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी की मैनेजिंग कमेटी में अध्यक्ष है तथा मैनेजिंग कमेटी के समस्त कार्य को देखते हैं।**(संलग्नक 10)**

4. 5 सितंबर 2023 को कमाल फारुकी और शबी अहमद द्वारा अशहर तौसीफ, माता निग़हत जहां व अजक तौसीफ से मारपीट करने व जान से मारने की कोशिश करने में मय साक्ष्यों व मेडिकल जांच के साथ मुकदमा संख्या 474/2023 दिनांक 05/09/2023 को दर्ज किया गया है जिसकी चार्जशीट संख्या 473/2023 दिनांक 05/10/2023 को लगाकर माननीय न्यायालय किता की जा चुकी है जबकि 8 दिन बाद बिना साक्ष्यों के कमाल फारुकी ने स्कूल की प्रिंसिपल पूजा भुट्टन के नाम से हम लोगों के ऊपर दिनांक 13.09.2023 को झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई। जबकि यह अवगत कराना आवश्यक है की प्रिंसिपल पूजा भुट्टन पहले कमाल फारूकी के दिल्ली के स्कूल में कार्य करती थी और कमाल फारुकी द्वारा ही पूजा भुट्टन का धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम व्यक्ति वसीम से शादी करवाई गई है। **(संलग्नक 11,12)**
5. जब प्रार्थी ने जनसूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ कि गाटा संख्या 403, 404 पर तालाब दर्ज है तब उसकी शिकायत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दिनांक 17/02/2024 को की तब कमाल फारूकी ने केस वापिस लेने के लिए दबाव बनाया जब केस वापिस नहीं लिया गया तब प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई और अपने वकील श्री अबू बकर सब्बाक से दिनांक 22/02/2024 को एक और झूठा मुकद्दमा बिना साक्ष्यों के पंजीकृत कराया गया।
6. पीसीआई के SIF 2024-25 में मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी धनौरा रोड अमरोहा का मानचित्र संख्या 222/2023 तालाब पर बने होने के कारण निरस्त होने के पश्चात संस्था ने किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित मानचित्र और मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी धनौरा रोड अमरोहा के लिए भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो गहन जांच का विषय है। **(संलग्नक 13)**
7. इसी क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी महोदय अमरोहा द्वारा अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय अमरोहा ने अग्निशमन अधिकारी अमरोहा और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अमरोहा को उक्त के क्रम में दिनांक 08.08.2024 को **मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ़ फार्मेसी के विरुद्ध उक्त फर्जी/ कूट रचित अभिलेख बनाने वाले / प्रस्तुत करने वाले के विरुद्ध प्रविधानानुसार कड़ी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को तीन दिवस के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करे ।(संलग्नक 14,15)**

प्रार्थना

गाटा संख्या 403 व 404 चकबंदी पूर्व गाटा संख्या 311 से बना हुआ है 1359 फसली वर्ष के अनुसार खसरे में गाटा संख्या 311 तालाब दर्ज है तालाब की भूमिका स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 22/9/2023 पर प्रस्तावित मेसको इंस्टीट्यूट

Scanned with

आफ फार्मेसी का मानचित्र 222/2023 को निरस्त कर दिया और मेस्को पब्लिक स्कूल और राशिदा बेगम मुस्लिम विद्यालय के पूर्व में स्वीकृत मानचित्र संख्या 608/2011 व 96/2020 को भी तहसीलदार अमरोहा की आख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा दिनांक 7/3/2024 को निरस्त कर दिया गया।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में संस्था के अध्यक्ष श्री कमाल फारुकी इनके पुत्र व संस्था के उपाध्यक्ष श्री दानिश कमाल फारुकी व इनके समधी व संस्था के सचिव श्री शबी अहमद पर सख्त से सख्त विधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए और जुर्माना लगाया जाए।

और तालाब पर हुए अतिक्रमण को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराकर तालाब को पुनः जीवित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे। जिस से भविष्य में कोई ऐसी हरकत नहीं कर सके।

माननीय की अति कृपा होगी।

दिनांकः 28/08/2024

संलग्नक - 1 से 15 तक

प्रार्थी

डॉ सैय्यद अशहर तौसीफ

निवासी मोहल्ला गश्तियान अमरोहा थाना अमरोहा नगर, जनपद अमरोहा। 8218533746, 9897629400

Scanned with

Enc-01

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

पंत्राक 51 /वि0क्षे0अमरोहा/सू0अ0अ0–2005/2023–24 दिनांकः– 15/01/24

सेवा में,

श्री सैय्यद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ हसन
निवासी मौहल्ला गश्तियान अमरोहा।
मो0 नं0–8218533746, 9897629400

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत वॉछिंत सूचना का प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की सेवा में पंजीकृत डाक से प्रेषित प्रार्थना दिनांक 04.08.2023 आवेदन दिनांक 26.08.2023 पोस्टल आर्डर सं0 56एफ365756 के माध्यम से चाही गयी वॉछित सूचना निम्नवत है।

उपरोक्त विषयक में आपको अवगत कराना है कि बिन्दु सं0 07 के वॉछित सूचना के संबंध में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित मेस्को इंस्टीट्यूट आफॅ फार्मेसी ग्राम निजामपुर गर्वी धनौरा रोड अमरोहा मानचित्र संख्या 222/2023 दिनांक 18.12.2023 को निरस्त किया गया है। बिन्दु सं0 08 के संबंध में निरस्त मानचित्र की प्रमाणित कापी प्राप्त करने हेतु कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा में उपस्थित होकर नियमानुसार शुल्क बैंक में जमा कर छायाप्रति प्राप्त कर सकते है।

15/01/24
जन सूचनाधिकारी,
कार्यालय नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

प्रतिलिपिः– उप जिलाधिकारी अमरोहा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जन सूचनाधिकारी,
कार्यालय नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

Scanned with

Enc-02

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–अमरोहा।

पत्रांक: 29 / वि0क्षे0 / आई0जी0आर0एस0 / 2024 दिनांक 08/01/2024

विषय:– आई0जी0आर0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत शिकायत सं0 40013723020365 की जांच आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भ संख्या: 40013723020365 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शिकायतकर्ता श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ निवासी मौहल्ला गशितयान अमरोहा द्वारा चेयरमैन कमाल फारूखी, राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय के नाम गाटा सं0 398 रक्बा 0.19है0, गाटा सं0 399 रक्बा 0.162है0, गाटा सं0 402 रक्बा 0.162है0, गाटा सं0 403 रक्बा 0.295 है0 व गाटा सं0 404 रक्बा 0.717 है0 व गाटा सं0 405 रक्बा 0.263 पर कूट रचित दस्तावेज बनाकर इन्ही गाटा संख्याओं पर राशिदा बेगम महाविद्यालय, मेस्कों पब्लिक स्कूल, फार्मेसी व आदि संस्थाओं की मान्यता ली गयी है। गाटा स0 403 व 404 पर चकबन्दी पूर्व गाटा सं0 311 से बना हुआ है 1359 फ0 वर्ष के अनुसार खसरें में गाटा सं0 311 तालाब दर्ज है, तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नही किया जा सकता है, के संबंध में कानूनी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र, अमरोहा से जांच कराई गयी। अवर अभियन्ता की जांच आख्या दिनांक 08.01.20234 के अनुसार प्रश्नगत उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ निवासी मौहल्ला गशितयान अमरोहा द्वारा चेयरमैन कमाल फारूखी, राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय के नाम गाटा सं0 398 रक्बा 0.19है0, गाटा सं0 399 रक्बा 0.162है0, गाटा सं0 402 रक्बा 0.162है0, गाटा सं0 403 रक्बा 0.295 है0 व गाटा सं0 404 रक्बा 0.717 है0 व गाटा सं0 405 रक्बा 0.263 पर कूट रचित दस्तावेज बनाकर इन्ही गाटा संख्याओं पर राशिदा बेगम महाविद्यालय, मेस्कों पब्लिक स्कूल, फार्मेसी व आदि संस्थाओं की मान्यता ली गयी है। गाटा स0 403 व 404 पर चकबन्दी पूर्व गाटा सं0 311 से बना हुआ है 1359 फ0 वर्ष के अनुसार खसरें में गाटा सं0 311 तालाब दर्ज है, तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नही किया जा सकता है, पर कार्यवाही करते हुये तहसीलदार की आख्या दिनांक की आख्या दिनांक 22.09.2023 पर प्रस्तावित मानचित्र 222/2023 को निरस्त किया जा चुका है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

नियत प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

Scanned with C

Enc-03

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–अमरोहा।

पत्रांकः 265 /वि0क्षे0/आई0जी0आर0एस0/2024 दिनांक 27/03/024

विषयः– आई0जी0आर0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत शिकायत सं0 41013724000030 व 40013724003510 की जांच आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भ संख्याः 41013724000030 व 40013724003510 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शिकायतकर्ता श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ निवासी मौहल्ला गश्तियान अमरोहा द्वारा चेयरमैन कमाल फारूखी द्वारा मानचित्र सं0 608/2011 व 96/2020 गाटा सं0 398 रखबा 0.19है0, गाटा सं0 399 रखबा 0.162है0, गाटा सं0 402 रखबा 0.162है0, गाटा सं0 403 रखबा 0.295 है0 व गाटा सं0 404 रखबा 0.717 है0 व गाटा सं0 405 रखबा 0.263 पर कूट रचित दस्तावेज बनाकर इन्ही गाटा संख्याओं पर राशिदा बेगम महाविद्यालय, मेस्कों पब्लिक स्कूल, फार्मेसी व आदि संस्थाओं की मान्यता ली गयी है। गाटा स0 403 व 404 पर चकबन्दी पूर्व गाटा सं0 311 से बना हुआ है 1359 फ0 वर्ष के अनुसार खसरें में गाटा सं0 311 तालाब दर्ज है, तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नही किया जा सकता है, के संबंध में मानचित्र सं0 608/2011 व 96/2020 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरण में अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा द्वारा जांच करायी गयी। अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की आख्या दिनांक 22.03.2024 के अनुसार शिकायतकर्ता श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ निवासी मौहल्ला गश्तियान अमरोहा द्वारा की गयी शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि चेयरमैन कमाल फारूखी द्वारा पूर्व में स्वीकृत मानचित्र सं0 608/2011 व 96/2020 को तहसीलदार अमरोहा की आख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा दिनांक 07.03.2024 को निरस्त कर दिया है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

Scanned with

Enc-04

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा

पत्रांकः 288/वि0क्षे0अमरोहा/2023–24 दिनांकः– 17/03/2024

प्रबन्धक समिति राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय
प्रबन्धक मैस्को पब्लिक स्कूल
ग्राम निजामपुर गर्वी धनौरा रोड
जनपद अमरोहा।

विषय– मानचित्र संख्या 96/2020 व 608/2011 के संबंध में।

महोदय,

कृपया कार्यालय के पत्रांक संख्या 1501/वि0क्षे0अमरोहा/2023 दिनांक 26.09.2023 व पत्रांक संख्या 1779/वि0क्षे0अमरोहा/2023 दिनांक 27.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तुत प्रस्तावित मैस्को इंस्टिटयूट ऑफ फार्मेसी ग्राम निजामपुर गर्वी, धनौरा रोड अमरोहा मानचित्र संख्या 222/2022 पर स्वामित्व संबंधी जांच हेतु कार्यालय के पत्र सं0 1296/वि0क्षे0 अमरोहा/2023 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा तहसीलदार अमरोहा को पत्र प्रेषित किया गया था।

तहसीलदार अमरोहा की जांच आख्या दिनांक 22.09.2023 के अनुसार मानचित्र सं0 222/2023 प्रस्तवित प्रस्तावित मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी ग्राम निजामपुर गर्वी, धनौरा रोड अमरोहा गाटा सं0 398, 402, 403, 404 में से गाटा सं0 404, 403 पर चकबंदी पूर्व गाटा सं0 311 से बना है। 1359 फ0 वर्ष के अनुसार खसरें में गाटा सं0 311 'तालाब' दर्ज है, तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, के आधार पर मानचित्र सं0 222/2023 दिनांक 18.12.2023 को निरस्त कर दिया गया है तथा कार्यालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत मानचित्र सं0 608/2011 व 96/2020 पर भी कार्यालय के पत्र संख्या 1776/वि0क्षे0अमरोहा/2023 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा तहसीलदार अमरोहा से पूर्व में स्वीकृत मानचित्र में सम्मिलित गाटा सं0 404 व 403 पर 'तालाब' के संबंध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है जिस पर तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 30.01.2024 के अनुसार लेखपाल श्री सचिन यादव, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान खतौनी फ0 वर्ष 1428–1433 खाता सं0 253 गाटा सं0 404 रक्बा 0.717है0 श्रेणी–1(क) (भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में है) पर राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय अमरोहा द्वारा प्रबन्धक श्री नासिर हसन पुत्र शमशुल हसन निवासी मौहल्ला सद्दो अमरोहा, श्री कमाल अहमद फारूखी निवासी त्रिपोलिया अमरोहा का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। उपरोक्त विवरण के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि ग्राम निजामपुर गर्वी वर्तमान गाटा सं0 404, 403 व चकबन्दी पूर्व गाटा सं0 311 में क्रमशः चकबंदी आकार पत्र 41 व 1359 खसरे के विशेष विवरण में 'तालाब' दर्ज है जबकि चकबंदी आकार पत्र 45 तथा खतौनी 1359 फ0 पर काश्तकारों के नाम दर्ज है। यहां यह उल्लेख किया गया है कि श्री मुस्तकीम लेखपाल अहमद की आख्या दिनांक 5.06.2012 में चकबंदी आकार पत्र 45 व 1359 खतौनी का उल्लेख है किन्तु चकबंदी आकार पत्र 41 व 1359 फ0 खसरें का उल्लेख नही है।

अतः तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 30.01.2024 से स्पष्ट है कि ग्राम निजामपुर गर्वी गाटा सं0 403 व 404 व चकबन्दी पूर्व गाटा सं0 311 में क्रमशः चकबंदी आकार पत्र 41 व 1359 खसरे के विशेष विवरण में 'तालाब' दर्ज है। 'तालाब' की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नही किया जा सकता है। तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 30.01.2024 के आधार पर कार्यालय विनियमित क्षेत्र, अमरोहा द्वारा पूर्व में स्वीकृत मानचित्र संख्या 608/2011 व 96/2020 को निरस्त किया जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के भीतर गाटा सं0 403 व 404 को सम्मिलित न करते हुये पूरे भूखण्ड का शमन मानचित्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में आप द्वारा किये गये निर्माण को अवैध घोषित करते हुये आपके विरूद्व आर0बी0ओ0 एक्ट की धारा 10 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

17/3/24

नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा

Scanned with C

Enc-05

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
A State University-Govt. of Uttar Pradesh, NAAC A++ Accredited, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / कु.रा.का. / 2024 / 415 दिनांक : 05.07.2024

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा),
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विषयः—जनसुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश पर दर्ज आई0जी0आर0एस0 संख्या–40013724006029 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्रांक–डिग्री आई0जी0आर0एस0 / 297 / 2024–25 दिनांक 21.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अभिलेखानुसार राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्याः ई.स. / 5329 / जी.एस. दिनांक 01.10.2004 द्वारा राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय, अमरोहा, जे0पी0 नगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2004 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्याः ई.स. / 710 / जी.एस. दिनांक 09.06.2006 द्वारा राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय, अमरोहा, जे0पी0 नगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गई है। (छायाप्रतियाँ संलग्न है)

महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार गाटा संख्या 403 रकबा 0.295 हे0, गाटा संख्या 404 रकबा 0.717 हे0 के 2/3 भाग यानि 0.478 हे0 में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय, अमरोहा बना हुआ है व गाटा संख्या 398 रकबा 0.890 हे0 में 1/9 भाग अर्थात 0.098 हे0 जो महाविद्यालय से सम्बन्धित है और एक दूसरे से जुड़े हुए है। महाविद्यालय के नाम कुल भूमि 0.871 हे0 है।

कृपया उक्त सूचना से अवगत होते हुए प्रकरण को निक्षेपित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उर्युक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
3. निजी सचिव–कुलपति।

कुलसचिव

Scanned with

Enc-06

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

पंत्राक 52 /वि0क्षे0अमरोहा/सू0अ0अ0–2005/2023–24 दिनांकः– 15/01/24

सेवा में,

श्री सैय्यद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ हसन
निवासी मौहल्ला गश्तियान अमरोहा।
मो0 नं0–8218533746, 9897629400

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत वॉछिंत सूचना का प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियंमित क्षेत्र, अमरोहा की सेवा में पंजीकृत डाक से प्रेषित प्रार्थना दिनांक 04.08.2023 आवेदन दिनांक 26.08.2023 पोस्टल आर्ड सं0 56एफ365757 के माध्यम से चाही गयी वॉछित सूचना निम्नवत है।

उपरोक्त विषयक में आपको अवगत कराना है कि बिन्दु सं0 07 के वॉछित सूचना के संबंध में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय बीएड कालेज ग्राम निजामपुर गर्वी धनौरा रोड अमरोहा मानचित्र संख्या 96/2020 दिनांक 31.12.2020 को स्वीकृत किया गया है। बिन्दु सं0 08 के संबंध में निरस्त मानचित्र की प्रमाणित कापी प्राप्त करने हेतु कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा में उपस्थित होकर नियमानुसार शुल्क बैंक में जमा कर छायाप्रति प्राप्त कर सकते है।

15/01/24

जन सूचनाधिकारी,
कार्यालय नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

प्रतिलिपिः– उप जिलाधिकारी अमरोहा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जन सूचनाधिकारी,
कार्यालय नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

Scanned with

Enc-07

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 793166

संलग्नक-2

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2018-19 में स्थापित की जाने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण के समय प्रस्तुत किए जाने वाला नोटरी शपथ पत्र

हम क्रमाल फारुखी (अध्यक्ष) एवं सै0तौसीफ हसन (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव :- राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय धनौरा रोड,अमरोहा) (सोसाइटी ट्रस्ट का नाम एवं पता) सत्यनिष्ठापूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी धनौरा रोड,अमरोहा (संस्था का नाम एवं पता) नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2018-19 से किया जाना प्रस्तावित है|

2. यह है कि हमारी सोसाइटी ट्रस्ट के नाम निज़ामपुर गरबी,धनौरा रोड,अमरोहा) (पता जहां पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या 402 एवं 403 रकबा क्रमांक 0.162 एवं .295 हेक्टेयर (कुल रकबा .457 हेक्टेयर) भूमि है |

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद विवाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है |

4. यह कि उपरोक्त मदों पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 402 एवं 403 रकबा क्रमांक 0.162 एवं .295 हेक्टेयर (कुल रकबा .457 हेक्टेयर)पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 08-10-2016 द्वारा पारित किया गया है |

Rashida Begum ...

President

(अभिहित ...)
जनसूचना अधिकारी
प्राविधिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Scanned with C

Enc-07

यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण
अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है ।
यह की निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ... जान भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित
भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है ।
यह है कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों ... की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान
का ही संचालन किया जाएगा ।
यह है कि इस संस्था में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से
सम्बन्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ।
यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबन्ध संस्था एवं
पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बन्ध कोई अन्य
संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो मैं कभी किया गया है और ना ही भविष्य में
कभी किया जाएगा ।
यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को अखिल भारतीय
तकनीकी शिक्षा परिषद एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा ।
यह की संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक एक स्टाफ की तैनाती सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के
पूर्व कर लिया जाएगा ।

अध्यक्ष
...ida Begum Muslim Mahavidalaya
President

ह0सचिव

Solemnly affirmed ... by Shri/Smt./Km. ...
deponent who is identified by Shri/Smt./Km ...
clerk of Shri/Smt./Km ... Advocate on ...
I have satisfied my self by examining the deponent that
he/she understands the contents of the affidavit and the same
has been read over and explained to ... me.
Received Rs. ... as fee
Sl. No. 10

DALIP NARAIN MATHUR
Advocate/Notary Public
Area-Throughout, Distt. Court
Amroha (J.P. Nagar), Reg. No. 65/5/...

(अभिमन्यु प्रसाद)
जनसूचना अधिकारी
प्राविधिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

12-4-18

Enc-08

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 793167

संलग्नक-3

(प्रारूप-अ)

प्रदेश में स्थित सोसाइटी/ट्रस्ट जिसके डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही है अथवा सत्र 2018-19 से संचालित किए जाने का प्रस्ताव है के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत किए जाने वाला नोटरी शपथ पत्र :-

हम कमाल फारुखी (अध्यक्ष) एवं सै0तौसीफ हसन (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय धनौरा रोड,अमरोहा) (सोसाइटी ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

अ मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी धनौरा रोड,अमरोहा (प्रस्तावित)

ब ______

स ______

द ______

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है:-

क्रम संख्या	पता	गाटा संख्या	भूमि का रकबा	भूमि हेक्टेयर में
1.	2	3	4	5
2.	निज़ामपुर गरवी,धनौरा रोड,अमरोहा	402, 403	0.162 .295	.457
3.				

Rashida Begum Muslim Mahavidyalaya

President

(अभिषेक ...)
संयुक्त सचिव
प्राविधिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with C

Enc-08

यह कि उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं को निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की :-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	गाटा संख्या	रकबा	कुल भूमि
1.	2	3	4	5	6	7
1.	राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय धनौरा रोड,अमरोहा	मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ़ फार्मेसी धनौरा रोड,अमरोहा	निज़ामपुर गरवी,धनौरा रोड,अमरोहा	402, 403	0.162, .295	.457

कि उपरोक्त स्थिति संबंधित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारंभ के समय की है एवं इसमें कालांतर में कोई बदलाव किया गया है |

कि उपरोक्त विवरण में निम्नवत बदलाव किया गया है और आज की तिथि का विवरण निम्नवत है: -

संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल रकबा	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
2	राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय धनौरा रोड,अमरोहा	निज़ामपुर गरवी,धनौरा रोड,अमरोहा	402, 403	0.162 , .295	.457
3					

कि भविष्य में यदि हमारी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि क्रय की जाती है तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा

Rashida Begum Muslim Mahavidalaya
President

Solemnly affirmed before me by Shri/Smt./Km. ....
deponent who is identified by Shri/Smt./Km. ....
.... Advocate on ....
Clerk of Shri/Smt./Km ....
I have satisfied my self after examining the deponent that he/she understood the contents of the affidavit and the same has been read over and explained to him/her.
Received Rs. .... as fee
Sl. No. ....

DALIP NARAIN MATHUR
Advocate/Notary Public
Moradabad Dist. Court
J.P. Nagar, Reg. No. 6/5/05

12-4-18

उपसचिव

Rashida Begum Muslim Mahavidalaya
President

(अधिकृत हस्ताक्षर)
जनरल / ....
प्राविधिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Scanned with C

Enc - 09

कार्यालय

नगर पालिका परिषद्, अमरोहा

पत्रांक– न० पा० प० अ०/10/30

दिनांक– 24-01-2018

भू–स्वमित्व प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय ग्राम– निजामपुरगर्वी, घनोउरा रोड, अमरोहा (उ०प्र०) के खसरा नं0 402 व 403 कुल रखवा 1.12 एकड़ भूमि पर मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी हेतु भवन निर्माणं किया गया है। अतः इस भवन का उपयोग केवल मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी के लिए ही किया जाएगा। एवं भविष्य में इस भवन पर मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी का ही स्वामित्व होगा।

Rashida Begum Muslim Mahavidyalaya
President

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
अमरोहा

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अमरोहा

(अभिमन्यु प्रसाद)
जनसूचना अधिकारी
परिनिर्मित विभाग परिषद
उत्तर प्रदेश अमरोहा

Scanned with

Enc-10

3/12/

न्यायालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।
आर0वी0ओ0 एक्ट, 1958

मानचित्र संख्या–222/2023

सरकार बनाम मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी .

निर्णय

प्रश्नगत वाद प्रबन्ध समिति राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी, निर्माण स्थल ग्राम निजामपुर गर्वी, धनौरा रोड अमरोहा के मानचित्र संख्या 222/2023 पर प्रारम्भ हुई। प्रस्तावित मानचित्र संख्या 222/2023 पर नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा के स्वीकृय आदेश 27.02.2023 के आधार पर कार्यालय के पत्र संख्या 1296/वि0 क्षे0अमरोहा/2022–23 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा निर्माण स्थल पर स्वामित्व संबंधी अनापत्ति पत्र हेतु तहसीलदार, तहसील अमरोहा व अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की आख्या दिनांक 13.06.2023 पर को पत्र प्रेषित किया गया है। जिस पर कार्यवाही करते हुये तहसीलदार, तहसील अमरोहा द्वारा दिनांक 22.09.2023 को अनापत्ति/आख्या उपलब्ध करायी जिसमें स्वामित्व संबंधी अनापत्ति/आख्या के संबंध में अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र सं0 222/2023 के द्वारा प्रस्तावित निर्माण स्थल ग्राम निजामपुर गर्वी स्थित गाटा सं0 404, 403 चकबंदी पूर्व गाटा संख्या 311 से बना है। 1359 फ0 वर्ष के खसरे में गाटा सं0 311 "तालाब" दर्ज है। ध्यातव्य है कि "तालाब" की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नही किया जा सकता है, के संबंध में आवेदक को कार्यालय के पत्र संख्या 1501/वि0क्षे0अमरोहा/2023 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा सूचना प्राप्त कराकर दिनांक 29.09.2023 को कार्यालय में साक्ष्य सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री कमाल फारुखी, चैयरमैन मैनेजिंग कमेटी, मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी ग्राम निजामपुर गर्वी अमरोहा द्वारा दिनांक 06.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि विपक्षी मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी की मैनेजिंग कमेटी मे चैयरमेन है तथा मैनेजिंग कमेटी के समस्त कार्यो को देखते हैं। उपरोक्त मानलो में प्रार्थी द्वारा आज ही श्री सलीन खान एडवोकेट को अधिवक्ता नियुक्त किया है तथा आपत्ति/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु 15 दिन का अवसर प्रदान करने की प्रार्थना की है। विपक्ष के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.10.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया कि विपक्षी को कारण बताओं नोटिस दिनांक 26.09.2023 सरासर गलत तथ्यों पर आधारित है दिनांक 08.08.2023 को तहसीलदार अमरोहा से मांगी गई रिपोर्ट पर संबंधित लेखपाल की आख्या दिनांक 20.09.2023 के आधार पर संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट दिनांक 22.09.2023 को तहसीलदार अमरोहा के द्वारा पोस्ट आफिस के समरूप मा0 महोदय को सम्प्रेषित किये जाने पर आधारित है। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट प्रथम दृष्टता ही दुर्भावना से प्रेषित होना प्रतीत होती है क्योकि कार्यालय के पत्र दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से तहसीलदार अमरोहा से प्रासंगिक भवन मानचित्र के स्थल से संबंधित सड़क/मार्ग की राजस्व अभिलेख के अनुसार चौड़ाई सहित स्वामित्व जांच आख्या मांगी गई थी, लेकिन संबंधित लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार अमरोहा के द्वारा मा0 महोदय के आदेश के परिपालन मे न जो सड़क/मार्ग की राजस्व अभिलेख के अनुसार चौड़ाई के संबंध आख्या दी गई, और न ही कोई भवन मानचित्र से संबंधित भूमि के विषय में स्वामित्व की जांच किये बिना ही कोई आख्या दी गई, बल्कि लगभग 50 वर्ष पूर्व राजस्व रिकार्ड में मौके की स्थिति में तालाब होने की रिपोर्ट प्रेषित की गयी है जबकि इस संबंध में कोई रिपोर्ट नही मांगी गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि मा0 महोदय के अधीनस्थों के द्वारा आदेश दिनांक 08.08.2023 का सम्यक अनुपालन न किये जाकर मात्र अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुये उत्तरदाता को क्षति पहुंचाने के लिये अवांछित आख्या प्रेषित की गई है। खसरा नं0 403 व 404 वाके ग्राम निजामपुर गर्वी तहसील अमरोहा संक्रमणीय भूमिधारी श्रेणी 1(क) की भूमि है, जो तालाब की भूमि की श्रेणी में नही आती है। जिसे संक्रमणीय भूमिधर होने के नाते किसी भी रूप में प्रयोग करने का अधिकार आपत्तिकर्ता को है, खसरा नं0 403 व 404 विक्रय के उपरान्त उसके राजस्व रिकार्ड में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय का नाम दिनांक 17.05.2023 को अंकित हुआ है। अन्त में विपक्षी द्वारा उपरोक्त वर्णित आधारों एवं विधि व्यवस्थाओं के विवेचन के आधार पर नोटिस दिनांक 26.09.2023 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with

Enc-10

12/2

मेरे द्वारा विपक्षी के कथन को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया विपक्षी के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि कारण बताओं नोटिस दिनांक 26.09.2023 सरासर गलत तथ्यों पर आधारित है दिनांक 08.08.2023 को तहसीलदार अमरोहा से मांगी गई रिपोर्ट पर संबंधित लेखपाल की आख्या दिनांक 20.09.2023 के आधार पर संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट दिनांक 22.09.2023 को तहसीलदार अमरोहा के द्वारा पोस्ट आफिस के सगरूप मा0 महोदय को सम्प्रेषित किये जाने पर आधारित है। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट प्रथम दृष्टया ही दुर्भावना से प्रेरित होना प्रतीत होती है क्योंकि कार्यालय के पत्र दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से तहसीलदार अमरोहा से प्रासंगिक भवन मानचित्र के स्थल से संबंधित सड़क/मार्ग की राजस्व अभिलेख के अनुसार चौड़ाई सहित स्वामित्व जांच आख्या मांगी गई थी, लेकिन संबंधित लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार अमरोहा के द्वारा मा0 महोदय के आदेश के परिपालन मे न जो सड़क/मार्ग की राजस्व अभिलेख के अनुसार चौड़ाई के संबंध आख्या दी गई, और न ही कोई भवन मानचित्र से संबंधित भूमि के विषय में स्वामित्व की जांच किये बिना ही कोई आख्या दी गई, बल्कि लगभग 50 वर्ष पूर्व राजस्व रिकार्ड में मौके की स्थिति में तालाब होने की रिपोर्ट प्रेषित की गयी है जबकि इस संबंध में कोई रिपोर्ट नही मांगी गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि मा0 महोदय के अधीनस्थों के द्वारा आदेश दिनांक 08.08.2023 का सम्यक अनुपालन न किये जाकर मात्र अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये उत्तरदाता को क्षति पहुंचाने के लिये अवांछित आख्या प्रेषित की गई है। खसरा नं0 403 व 404 वाके ग्राम निजामपुर गर्वी तहसील अमरोहा संक्रमणीय भूमिधरी श्रेणी 1(क) की भूमि है, जो तालाब की भूमि की श्रेणी में नही आती है। जिसे संक्रमणीय भूमिधर होने के नाते किसी भी रूप में प्रयोग करने का अधिकार आपत्तिकर्ता को है, खसरा नं0 403 व 404 विक्रय के उपरान्त उसके राजस्व रिकार्ड में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय का नाम दिनांक 17.05.2023 को अंकित हुआ है। तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 22.09.2023 के अनुसार प्रस्तावित निर्माण स्थल ग्राम निजामपुर गर्वी स्थित गाटा सं0 404, 403 चकबंदी पूर्व गाटा संख्या 311 से बना है। 1359 फ0 वर्ष के खसरे में गाटा सं0 311 "तालाब" दर्ज है। ध्यातव्य है कि "तालाब" की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नही किया जा सकता है व अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की आख्या दिनांक 30.10.2023 के अनुसार प्रस्तावित निर्माण स्थल ग्राम निजामपुर गर्वी स्थित गाटा सं0 398, 402, 404 व 403 में से गाटा सं0 404, 403 में तालाब दर्ज होन के कारण स्वीकृति पर कार्यवाही किया जाना विधिक नही है व मानचित्र सं0 222/2023 को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा दिनांक 06.10.2023 व 30.10..2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बलहीन व आधारहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

आदेश

अतः श्री कमाल फारूखी, चैयरमैन मैनेजिंग कमेटी, मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी ग्राम निजामपुर गर्वी अमरोहा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2023 व 30.10.2023 बलहीन व आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाते है व तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 22.09.2023 व अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की आख्या दिनांक 30.10.2023 के आधार पर मानचित्र संख्या 222/2023 निरस्त किया जाता है तथा विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य न करें। तदानुसार अनुपालन हो।

दिनांक:– 18.12.2023

(प्रतिमा सिंह)
नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र–अमरोहा।

आवेदन-पत्र संख्या 1643
16-5-2024
17-5-2024

सत्य प्रतिलिपि
कार्यालय जिलाधिकारी
अमरोहा 17/5/24

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with C

Enc - 11

ML(SD) 1562/23 Date 06/09/2023 time At 4-30pm At CHC Amroha Distt Amroha

Examined → Highat Jhan w/o Touseef Age About 56 yrs old (F) R/o Moh. Gastiyan P/s Nougawan Sadat Distt Amroha.

BIB → 292 H.G. Bhupendra Singh P/s Nougawan Sadat Distt - Amroha

MI → A Rased Black mole on right side of nose.

Injuries → ① Red contusion size of 4cm x 1cm on right side of Neck 5cm Above right clavicle

② Red contusion size of (4 x 1cm) on left side of Neck 6cm Above from left Clavicle

③ Red contusion size of (4cm x 2cm) on right side upper chest 2cm below from right clavicle bone

Opinion → All Above Injuries are simple in Nature caused by some blunt & hard object Duration is fresh.

RTI Att. Highat Jhan

Medical Officer
C.H.C., Amroha
Distt. Amroha

(Dr M. Idrees)
Medical Officer
C.H.C., Amroha
Distt. Amroha

Scanned with

Enc-12

MLC 1563/23 Date 06/09/2023 time At 4:40 PM At CHC Amroha Distt Amroha.

Examined → ~~HASAN~~ AZAK TOUSEEF S/O TOUSEEF HASAN Age About 24 years old (M) R/O Moh. Gashtiyan P/S Nougawan Sadat Distt Amroha

BB → HG 292 Bhupendra Singh P/S Nougawan Sadat Distt Amroha.

MI → A Black mole on Right side face 2.5 cm Away from Right mouth Angle.

Injuries →
1. Red contusion size of (5cm×3cm) on Right shoulder Tip.
2. Red contusion size of (3cm×1cm) on front of upper chest 5cm below from Right clavicle.
3. Red contusion size of 4cm×2cm on Left arm 8 cm Above from Left elbow Joint.

Opinion → All Above Injuries are simple in Nature caused by some blunt and hard object duration is fresh.

LTI AH.

AZAK TOUSEEF

Medical Officer
C.H.C., Amroha
Distt. Amroha

(Dr M. Idrees)

Medical Officer
C.H.C., Amroha
Distt. Amroha

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with C

Enc-13

भारत ... परिषद
(स्वास्थ्य एवं ... अंतर्गत सांविधिक निकाय)
एन बी ... तल, प्लॉट नम्बर 2,
... माँ आनन्दमयी मार्ग,
... I, नई दिल्ली-110020
011-61299900-03
registrar@pci.nic.in

PHARMACY COUNCIL OF INDIA
(Statutory body under Ministry of Health & Family Welfare)
Government of India
NBCC Centre, 3rd Floor, Plot No. 2,
Community Centre, Maa Anandmai Marg,
Okhla, Phase-I, New Delhi-110020
Telephone No. 011-61299900-03
E-mail: registrar@pci.nic.in

Letter 299K

Speed Post + E-Mail

Ref. No. PCI-4013/2023 | 86 45-46

RTI

सेवा में
श्री सैयद अशर तोशिफ पुत्र श्री तोशिफ हसन
मोहल्ला गश्तियान अमरोहा-244 221 (उत्तर प्रदेश)
ईमेल – ashhartauseef@gmail.com

- 6 MAR 2024

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगना

संदर्भ: आपका ऑनलाइन आरटीआई आवेदन संख्या PHRCI/R/E/24/00055 तिथि 09.02.2024 (s/80)

महोदय,

यह आपके ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दिनांक 09.02.2024 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि –

1 से 6 और 9 - कोई जानकारी नहीं मांगी गई है।

7 और 8 - यह सूचित किया जाता है कि संस्थान ने अपने ऑनलाइन एसआईएफ 2024-2025 पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित मानचित्र और मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के लिए भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। दस्तावेजों की फोटोकॉपी आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (जे) के तहत, तीसरे पक्ष की जानकारी फोटोकॉपी साझा नहीं की जा सकती।

अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पता है श्री अनिल मित्तल, अपीलीय प्राधिकारी और रजिस्ट्रार-सह-सचिव फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एनबीसीसी सेंटर, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 2, सामुदायिक केंद्र मां आनंदमई मार्ग ओखला चरण I, नई दिल्ली – 110020 ।

आपकी भवदीया

(प्रतिमा तिवारी)
उप सचिव एवं सीपीआईओ.

Scanned with

Enc - 14

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी अमरोहा

पत्रांकः 1011(1) / एल0वी0सी0 / 2024 दिनांकः 8 अगस्त, 2024

विषय— मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी,धनौरा रोड अमरोहा की कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद अमरोहा।

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक सं0 315 / का0आ0 / 2024 दिनांक 06.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मैस्को इंस्टीटयूट ऑफ फार्मेसी द्वारा नोटिस के क्रम में दिनांक 06.01.2024 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया न0पा0परि0 अमरोहा 1155 / का0आ0 / 2024 दिनांक 12.02.2024 द्वारा श्री सुखवीर सिहं, पी0सी0एस0 / तत्कालीन अधिशासी अधिकारी से सन्दर्भित प्रमाण पत्र पर हुये तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, श्री सुखवीर सिहं, पी0सी0एस0 प्रधान प्रबनधक किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा कार्यालय अवगत कराया गया की प्रश्नगत प्रमाण पत्र पर उनके हस्ताक्षर नही है।

अतः उक्त के क्रम में मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी के विरुद्व उक्त फर्जी / कूटरचित अभिलेख बनाने वाले / प्रस्तुत करने वाले के विरुद्व प्राविधानानुसार कडी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को तीन दिवस के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(माया शंकर)
अपर जिलाधिकारी,(न्यायिक)
अमरोहा।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,(न्यायिक)
अमरोहा।
8/8/24

Scanned with

Enc-15

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी अमरोहा

पंत्राक: 1011(2) / एल0बी0सी0 / 2024 दिनांक: 8 अगस्त, 2024

विषय– मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी,धनौरा रोड अमरोहा की कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

अग्निशमन अधिकारी, अमरोहा।
जनपद – अमरोहा।

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक सं0 एफएस–सीएफओ–2022 (सू0आ0अधि0) / 546 दिनांक 13.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रभारी / अग्निशमन द्वितीय अधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या: एफएस–2023 (सू0आ0अधि0) / 207 दिनांक 09.11.2023 एवं मुख्य अग्निशन अधिकारी जनपद अमरोहा कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय द्वारा मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी धनौरा रोड अमरोहा हेतु संलग्न किया गया प्रमाण पत्र संख्या: सी–93 / एजुकेशनल–93 / सीएफओ / प्रयोज्यता / 2017 दिनांक: 25.09.2017 को अग्निशमन विभाग कार्यालय जनपद अमरोहा से जारी नहीं किया गया हैं और न ही उक्त प्रमाण पत्र अग्निशमन विभाग जनपद अमरोहा से सत्यापित हैं।

अत: उक्त के क्रम में मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी के विरूद्व उक्त फर्जी / कूटरचित अभिलेख बनाने वाले / प्रस्तुत करने वाले के विरूद्व प्राविधानानुसार कडी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को तीन दिवस के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(माया शंकर)
अपर जिलाधिकारी,(न्यायिक)
अमरोहा।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,(न्यायिक)
अमरोहा। 8/8/24

Scanned with C

abpnewstv 12h

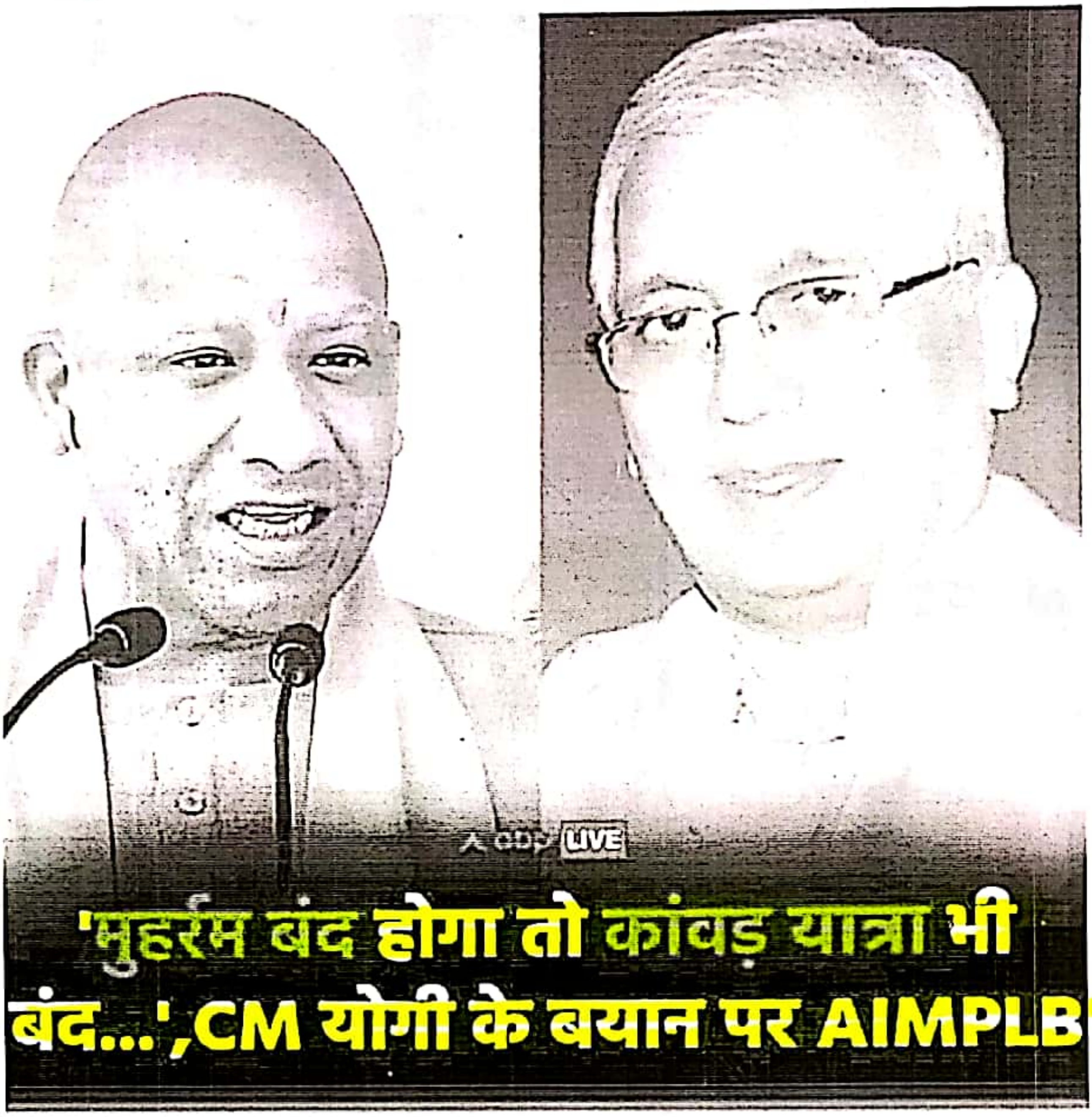

21,400 likes

abpnewstv मुहर्रम जुलूस पर यूपी सरकार के हालिया आदेश पर कमाल फारुकी ने रामलीला और गुरु नानक जयंती जिक्र करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा है. फारुकी ने सीएम योगी के मुहर्रम के संबंध में दिए गए बयान पर कहा कि, अगर मुहर्रम नहीं होगा, तो रामलीला, गुरुनानक जयंती आदि भी बंद होना चाहिए. सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए. रामलीला को भी बंद कर देना चाहिए. सबके लिए अलग-अलग नियम नहीं हो सकते हैं. इस देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब समान हैं.

Scanned with

'मुहर्रम बंद होगा तो कांवड़ यात्रा भी बंद...', सीएम योगी के बयान पर AIMPLB की दो टूक

'मुहर्रम बंद होगा तो कांवड़ यात्रा भी बंद...', सीएम योगी के बयान पर AIMPLB की दो टूक

Muharram 2024: मुहर्रम जुलूस पर यूपी सरकार के हालिया आदेश पर कमाल फारुकी ने रामलीला और गुरु नानक जयंती जिक्र करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि इसपर कानून लाना चाहिए.

By: एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Ankul | Updated at : 14 Jul 2024 05:02 PM (IST)

कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के दौरान रैली

Source : PTI

Scanned with

Muharram 2024: समान नागरिक संहिता पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के सदस्य कमाल फारुकी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि, हमें यूसीसी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है और वे इस कानून को कोर्ट में चुनौती देंगे. उन्होंने कहा, मुस्लिमों के पर्सनल कानून में किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है. कमाल फारुकी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये हमें स्वीकार नहीं है.

फारुकी ने कहा कि संविधान हमें अपने धर्म का अनुसरण करने की पूरी आजादी देता है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अपने धर्म का पालन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमें संविधान से पर्सनल लॉ मिला है, जो हमारे कुरान मजीद ने बताए हैं, उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं. इसके खिलाफ बने कानून को हम चुनौती देंगे. उन्होंने तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा-भत्ते देने के कोर्ट के फैसले पर कहा कि इसके लिए रविवार को हमारी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, इसमें चर्चा हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी जाएगी.

VIDEO | Here's what Kamal Faruqui, All India Muslim Committee member, said on UP government's recent order on Muharram procession.

"Ramlilas and celebration of Guru Nanak birthday should also be banned then. Everything should be stopped and a law should be brought on this. The... pic.twitter.com/B7Py07h135

— Press Trust of India (@PTI_News) July 14, 2024

सीएम योगी के मुहर्रम जुलूस के बायान पर फारुकी का प्रहार

फारुकी ने सीएम योगी के मुहर्रम के संबंध में दिए गए बयान पर कहा कि, अगर मुहर्रम नहीं होगा, तो रामलीला, गुरुनानक जयंती आदि भी बंद होना चाहिए. सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए. रामलीला को भी बंद कर देना चाहिए. सबके लिए अलग-अलग नियम नहीं हो सकते हैं. इस देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब समान हैं.

यूसीसी को चुनौती देंगे फारुकी

Scanned with

मेस्को इंस्टीट्यूट के प्रबंधक की मुश्किलें बढ़ीं

जागरण संवाददाता, अमरोहा : मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी कालेज के प्रबंधक की मुश्किलें बढ़ती ही जा रहीं हैं। प्रबंधन पर अग्निशमन अधिकारी व पालिका की फर्जी एनओसी पर कालेज की मान्यता प्राप्त करने का आरोप है। एडीएम न्यायिक ने जिला अग्निशमन अधिकारी व ईओ को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

धनौरा रोड स्थित राशिदा बेगम गर्ल्स पीजी कालेज परिसर में ही मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी संचालित है। इसके प्रबंधक कमाल फारूकी हैं। आरोप है कि इंस्टीट्यूट अवैध रूप से तालाब की भूमि में बना हुआ है। यह भी आरोप है कि नगर पालिका की 21 जनवरी 2018 में फर्जी एनओसी लगाकर कालेज की मान्यता प्राप्त की गई थी। इसपर तत्कालीन ईओ एवं एसडीएम सुखवीर सिंह यादव के हस्ताक्षर हैं।

जागरण फालोअप

एडीएम ने फर्जी एनओसी मामले में ईओ व अग्निशमन विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा पत्र

मुहल्ला गशितयान निवासी सैयद अशहर तौसीफ की शिकायत पर ईओ बृजेश कुमार ने कालेज प्रबंधक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण के निर्देश दिए थे। प्रबंधक ने छह जनवरी को अपना पक्ष रखते हुए तत्कालीन ईओ के हस्ताक्षर से एनओसी होना बताया। जबकि तत्कालीन ईओ ने अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार कर दिया। वहीं प्रबंधक ने 25 सितंबर 2017 में जारी अग्निशमन कार्यालय की फर्जी एनओसी लगाकर इंस्टीट्यूट की मान्यता प्राप्त कर ली। जिला अग्निशमन अधिकारी नें स्पष्ट किया है कि यह एनओसी कार्यालय से जारी नहीं की गई है। एडीएम मायाशंकर यादव ने पूरी जांच के बाद जिला अग्निशमन अधिकारी व पालिका ईओ डा. बृजेश कुमार को इंस्टीट्यूट व फर्जी अभिलेख तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। प्रबंधक कमाल फारूकी का कहना है कि एनओसी जैसी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कालेज स्टाफ काम करता है, फर्जी एनओसी उनके द्वारा नहीं ली गई।

राज्यपाल ने भी लिया संज्ञान : मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी की बुनियाद फर्जी दस्तावेजों के सहारे खड़ी करने की शिकायत के प्रकरण में राज्यपाल ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने निदेशक प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ को प्रकरण की जांचकर कृत कार्रवाई से सचिवालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

Scanned with

राजभवन पहुंचा मैस्को स्कूल का विवाद, जांच के आदेश

राष्ट्रीय इत्तिफाक समाचार

अमरोहा। शहर के मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फामेर्सी का विवाद अब उत्तर प्रदेश राजभवन तक पहुंच गया हैं। फर्जी तरीके से स्कूल की मान्यता लेने व सरकारी जमीन कब्जाने की शिकायत राज्यपाल महोदया तक पहुंचने के बाद राजभवन ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नगर के धनौरा रोड स्थित मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फामेर्सी कॉलेज के प्रबंधन दावे को लेकर कई सालों से दो पक्षों में विवाद चल रहा। अब एक पक्ष के अशहर तौसीफ ने राजभवन का रुख करते हुए राज्यपाल महोदया को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फामेर्सी कालेज की फर्जी दस्तावेज और मानचित्र के आधार पर मान्यता प्राप्त की गई हैं। जो नियमानुसार गलत है। मान्यता समाप्त की जाए। अशहर तौसीफ ने राजभवन को भेजी शिकायती के बाद अब राज्यपाल सचिवालय ने निदेशक प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को प्रकरण की जांच कराकर राजभन को आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर शिकायतकर्ता अशहर तौसीफ ने कहा कि स्कूल के प्रबंधक कमाल फारूकी द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्राप्त की गई मान्यता व लाभ अर्जित की शिकायत वह सबूतों के साथ मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच कर सीएम योगी से भी करेंगे।

Scanned with

आरबीएम–मेस्को पब्लिक स्कूल का विनयमित क्षेत्र का नक्शा निरस्त

आखिर तालाब की जमीन पर कैसे बन गया नक्शा ?

अमरोहा(विधान केसरी)। मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत पर विनयमित क्षेत्र विभाग ने एक्शन लेते हुए शहर के धनौरा रोड स्थित आरबीएम कॉलेज और मेस्को पब्लिक स्कूल का नक्शा निरस्त कर दिया है। विभाग ने दोनो शिक्षण संस्थानों को नोटिस भेजकर तालाब की भूमि को खाली करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उक्त मामले में कोई संतोपजनक जबाव नहीं दिया तो आरबीओ एक्ट के तहत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। जिससे स्कूल प्रबंधन समिति में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पूर्व में भी मेस्को फामेर्सी का नक्शा निरस्त किया जा चुका है। आपको बता दें कि शहर के मोहल्ला गशितयान निवासी अशहर तौसीफ पहले इन्ही शिक्षण संस्थानों में कार्य करते थे। उनका कहना है कि उन्हे साजिश रचकर हटा दिया गया है। अशहर तौसीफ ने ही उक्त मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि जिसमें उन्होने आरोप लगाया था कि राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय के अध्यक्ष कमाल फारूकी पर मेस्को पब्लिक स्कूल और मेस्को इंस्टीटयूट ऑफ फामेर्सी की इमारत में तालाब की भूमि पर खड़ी की गई है। मामले की जब तहसील के अधिकारियों ने जांच की तो मामला सही पाया गया। जांच में निजामपुर गर्बी में तालाब की भूमि से जुड़ा राजस्व रिकार्ड सामने आया। नियम के मुताबिक तालाब का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। इस बावत लेखपाल व कानूनगो की आख्या पर तहसीलदार से अपनी स्पष्ट रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय भेज दी थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल के अलावा एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को शिकायती पत्र भेजा था। राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय के अध्यक्ष कमाल फारूकी पर मेस्को पब्लिक स्कूल और मेस्को इंस्टीटयूट ऑफ फामेर्सी की इमारत में तालाब की भूमि को शामिल करने का आरोप लगाया था। तहसील स्तरीय अधिकारियों ने जांच की तो शिकायत सही निकली। नियत प्राधिकारी/ एसडीएम सदर सुधीर

◆शिकायतकर्ता ने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर लगाया था आरोप, तालाब की जमीन पर खड़ी कर दी इमारत

◆इस मामले में कई तत्कालीन अधिकारी व कर्मचारियों पर हो सकती है

कुमार के मुताबिक निजामपुर गर्वी में गाटा संख्या 311 राजस्व अभिलेख में तालाब के रूप में दर्ज है। चकबंदी प्रकिया पूरी होने के बाद यह गाटा संख्या अब 403 और 404 में तब्दील हो गई है। इन शिक्षण संस्थानों की इमारतों में तालाब की भूमि से संबंधित रक्बा भी शामिल है। प्रबंधकों को नोटिस जारी करते हुए रिकार्ड तलब किया गया था। इसके बाद ही इन दोनों शिक्षण संस्थाओं का नक्शा निरस्त कर किया गया है। इससे पूर्व भी विनयमित क्षेत्र ने मेस्को फामेर्सी का नक्शा निरस्त किया था।

Scanned with

शिक्षकों के फर्जी शपथपत्र दाखिल करके मान्यता लेने में फंसे आरबीएम के प्रबंधक

कोर्ट में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने पुलिस से मांगी आख्या

संवाद न्यूज एजेंसी

अमरोहा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के मानक पूरे करने के लिए शिक्षकों के फर्जी और कूटरचित शपथपत्र रुहेलखंड विश्वविद्यालय में दाखिल कर मान्यता लेने के मामले में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय (आरबीएम) के कॉलेज प्रबंधन फंसते नजर आ रहा है।

न्यायालय में दायर प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने नगर कोतवाली पुलिस से मामले में जांच कर आख्या तलब की है। पुलिस को 15 फरवरी तक तक आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी।

राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय मंडी धनौरा मार्ग स्थित है। कॉलेज की प्रबंधन समिति में पूर्व सपा नेता कमाल फारूकी अध्यक्ष हैं। जबकि उनका बेटा दानिश कमाल फारूकी उपाध्यक्ष और मोहल्ला चाहगौरी निवासी शबीह अहमद सचिव हैं। आरोप है कि नगर के मोहल्ला नियाजियान निवासी अशहर तौसीफ की साल 2011 में इस कॉलेज में बतौर प्रवक्ता तैनाती हुई थी लेकिन साल 2005 में कॉलेज को मिली मान्यता में एनसीटीई के मानक पूरा करने के लिए औपचारिकताओं में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया। आरोप है कि कमाल फारूकी और शबीह अहमद ने दस शिक्षकों के फर्जी और कूटरचित शपथपत्र तैयार करकर एमजेपी रुहेलखंड विश्व विद्यालय बरेली से मान्यता हासिल की।

अदालत से

जिन लोगों को कॉलेज में प्रवक्ता दर्शाया गया उनका शिक्षण कार्य से दूर तक कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। आरोप है कि 18 मई 2023 की शाम प्रबंधन कमेटी के सचिव हाजी शबीह अहमद ने उन्हें अपने घर बुलाया। यहां कमाल फारूकी और उनका बेटा दानिश फारूकी पहले से मौजूद थे। दबाव बनाकर तीनों ने फोटो ले लिया और शपथपत्र पर चस्पा कर हस्ताक्षर करा लिए।

इस मामले की शिकायत अशहर तौसीफ ने उच्चाधिकारियों से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तभी से तीनों रंजिश मानने लगे। अब हत्या कराने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित अशहर तौसीफ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मतलूब सुब्हानी ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमर प्रताप चौधरी ने अमरोहा नगर इंस्पेक्टर से मामले में 15 फरवरी तक जांच कर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

Scanned with C

...ड्यों के सामने रास्ते में पसरी कीचड़, यह फोटो गांव ... है।

हसनपुर करनखाल मार्ग क्षतिग्रस्त होने के साथ पानी भर गया है, जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है, यह तस्वीर भेजी है करनखाल निवासी कौशिक ने।

अग्निशमन की फर्जी एनओसी पर संचालित हो रहा मैस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी

- आरटीआइ से हुआ पर्दाफाश, फर्जी एनओसी पर ली थी कालेज संचालन की मान्यता

जासं, अमरोहा : राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय में फर्जी शिक्षकों की तैनाती का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था अब अग्निशमन की फर्जी एनओसी से मैस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी कालेज की मान्यता प्राप्त करने का मामला प्रकाश में आया है। आरटीआइ के तहत मांगी गई सूचना में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है।

राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय फर्जी शिक्षकों की तैनाती के बाद धनौरा स्थित मैस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी कालेज की मान्यता लेने में भी खेल किया गया है।

आरोप है कि अध्यक्ष कमाल फारूकी ने अग्निशमन की फर्जी एनओसी लगाकर प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ, अब्दुल कलाम टेक्नीकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, एआइसीटीई नई दिल्ली, फार्मेसी काउंसलिंग आफ इंडिया नई दिल्ली से कालेज संचालन के लिए 2017 में मान्यता प्राप्त कर ली। एनओसी 25 सितंबर 2017 में जारी दिखाई गई है। शहर के मुहल्ला गशितयान निवासी डा. सैय्यद अशहर तौसीफ ने मुख्य शमन अधिकारी अनिल कुमार सिंह से आरटीआइ में सूचना मांगी थी।

इसमें उन्होंने जवाब दिया कि राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय की ओर से मैस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी की मान्यता के लिए जो अग्निशम की एनओसी संख्या सी-93 का इस्तेमाल किया है। वह अग्निशमन विभाग कार्यालय अमरोहा से जारी नहीं की गई है और न ही प्रमाण पत्र अग्निशमन विभाग से सत्यापित है। फिलहाल इससे संचालक कमाल फारूकी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अध्यक्ष कमाल फारूकी ने बताया कि स्कूल की मान्यता के लगाया गया अग्निशमन पत्र फर्जी नहीं, बल्कि सही है। मैं इसमें और कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

तालाब की भूमि पर कालेज का कराया निर्माण

राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय के अध्यक्ष कमाल फारूकी ने जिस जमीन पर मैस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी का निर्माण कराया था, वह तालाब की भूमि थी। इसे अवैध रूप से भराव कराकर कालेज का निर्माण कराया गया। एसडीएम सदर प्रतिभा सिंह ने जांच कराकर इसकी स्वयं पुष्टि की है।

Scanned with C